महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–353 /43–2–2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनॉक 06 दिसम्बर, 2013

विषयः– लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्व में अंकित शासनादेशों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित

1– अर्ध्द शा0प0संख्या–1936/43–2–2006, दिनांक 20 नवम्बर, 2006
2– संख्या–556/43–2–2008–15/2(3)/2007 टीसी, दिनांक 06 जून, 2008
3– संख्या–859/43–2–2008–15/2(3)/07 टीसी।।, दिनांक 01 जुलाई, 2008
4– अर्ध्दशा0प0संख्या–898/43–2–2008–15/2(3)/07, दिनांक 18 जुलाई, 2008
5– संख्या–1154/43–2–08–15/2(3)/07 टीसी–।।, दिनांक 31 अक्टूवर, 2008

6– संख्या–1155/43–2–08–15/2(3)/07 टीसी–II, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 7– संख्या–60/43–2–2009, दिनांक 16 जनवरी, 2009 8– अर्द्ध शा0प0संख्या–701/43–2–2009–14/2(3)/08, दिनांक 05 मई, 2009 9– संख्या–2186/43–2–2009, दिनांक 16 नवम्बर, 2009 10–संख्या–741/43–2–2012, दिनांक 29 मई, 2012 11–संख्या–109/43–2–2012, दिनांक 13 मई, 2013 12–सं0–मु0स0 09/43–2–2012,दिनांक 30 मई,2013	विभिन्न 16 श्रेणियों की सूचनाओं को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित

कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2– प्राय: यह देखा जा रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त धारा–4(1)(बी) का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है, जिसके कारण जनसामान्य को सूचना प्राप्त किये जाने में कठिनाई हो रही है और मा0 उच्च न्यायालयों में प्राय: वाद/जनहित याचिकाऐं दाखिल हो रही है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना प्रत्येक लोक प्राधिकरण की विधिक बाध्यता है।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय वेबसाइट को अपलोड किये जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

5-12-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 353 (1)/43–2–2013, तद्दिनांक।

1– प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

2– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
अनु सचिव।